12.08 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप नियम (6) के उपबन्धों अनुसरण में मुझे विनियोग (संख्यांक-4) विधेयक, 1989 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 31 जुलाई, 1989 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

———

12.08½ म० प०

संविधान (पैंसठवां संशोधन) विधेयक*

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : अध्यक्ष महोदय, सभा को याद होगा कि जब मैंने 15 मई को संविधान (64वां संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित किया था, तब मैंने कहा था कि सरकार वर्षा-कालीन अधिवेशन में नगरों के स्थानीय विकासों के सम्बन्ध में व्यापक कानून लाना चाहती है। अब हम इस वचन को पूरा कर रहे हैं। पिछले अधिवेशन में जो विधेयक मैंने पुर स्थापित किया था, इसका साधारण नाम पंचायती राज विधेयक है, और यह नगरपालिका विधेयक हैं। महोदय, मुझे भारी शासकीय नामों के बदले इन परिचित नामों का उपयोग करने की अनुमति दीजिए। नगरपालिका विधेयक पंचायती राज विधेयक का पूरक है। इस विधेयक का विषय दूसरे विधेयक जैसा ही है : अधिकतम लोकतन्त्र और अधिकतम हस्तान्तरण के लिए संवैधानिक अनुमति। जैसे पंचायती राज प्रणाली को हम ग्रामीण भारत के जीवन से सत्ता के दलालों को अलग करने के शस्त्र के रूप में देखते हैं, ठीक इसी प्रकार हम इस विधेयक को भी भारत के नगरीय जीवन से सत्ता के दलालों को दूर करने के शस्त्र के रूप में देखते हैं।

हम इन विधेयकों के द्वारा सत्ता वहीं पहुंचाना चाहते हैं जहां लोकतन्त्र में इसका उचित स्थान है, अर्थात् जनता के हाथों में।

हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में हमारे गणराज्य की स्थापना के बाद लोकतन्त्र पर सम्भीरतम प्रहार किया गया है : जनता के कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लोक सभा की सदस्यता का परित्याग किया गया। पिछले आम चुनावों में जनता ने कांग्रेस को देश का शासन पांच वर्ष के लिए चलाने के लिए भारी समर्थन दिया था। इसी चुनाव में उन्होंने इन्हीं पांच वर्षों के लिए विपक्षीय स्थानों को ग्रहण करने के लिए कुछ विपक्षी सदस्यों को भेजा था। विपक्ष के सदस्यों का चुनाव यहां सभा में ही सरकार और इसकी नीतियों को चुनौती देने का महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक कार्य करने के लिए किया गया था, न कि बाजारों अथवा समाचार पत्रों में। हमें विपक्ष के उन लोकतान्त्रिक और स्वतन्त्र विचारधारा

* दिनांक 7-8-1989 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

[श्री राजीव गांधी]

वाले ऐसे सदस्यों का आदर करते हैं जो आज हमारे साथ यहां बैठे हैं, ताकि वे उन मूलभूत राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर लोकतान्त्रिक ढंग से वाद-विवाद कर सके जो मैं उठाऊंगा। इसी प्रकार हमें उन विपक्षी सदस्यों के व्यवहार की निन्दा करनी चाहिए जो लोकतान्त्रिक वार्तालाप के इस उच्चतम मंच से चले गए हैं। उन्होंने इस उच्च संस्थान का दुरुपयोग किया है जिसके लिए उनका चुनाव किया गया था। उन्होंने अपने शासनादेश का उल्लंघन किया है। उन्होंने अपने निर्वाचकों को धोखा दिया है। उन्होंने स्वयं लोकतंत्र का ही नाश किया है। उन्होंने संसद में ही लोकतन्त्र का नाश करना क्यों चाहा? मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका मुख्य कारण यह है कि वे यह बात सहन नहीं कर सके कि लोकतन्त्र जनता को सौंप दिया जाये। यदि वे यहीं रहते तो उनकी पोल खुल जाती। वे भाग गए हैं। इससे तो उनकी पोल अभी खुल गई है। एक कठोर स्थिति उनकी प्रतीक्षा कर रही है। निश्चय ही लोग ऐसे लोगों को भूल जाएंगे जिन्होंने 1984 में निर्वाचित होने के पश्चात् अपने स्थानों से त्यागपत्र दे दिया है। फिर भी इससे हम लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है जो इस सभा में हमारे लोकतन्त्र के आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए यहां बैठे हैं।

संसद और राज्य विधान मण्डलों में तब तक लोकतन्त्र कमजोर रहता है जब तक कि हमारे लोकतन्त्र की जड़ें उन ग्रामों तथा मुहल्लों में नहीं पहुंचती जहां लोग रहते हैं।

हमारे संविधान में संसद तथा राज्य विधान मंडलों में लोकतंत्र के लिए किए गए उपबन्धों का विस्तृत ब्यौरा है। इसीलिए इन संस्थानों में लोकतंत्र इतने उतार-चढ़ाव के बाद भी फला-फूला है। किन्तु हमारे संविधान में स्थानीय स्वशासी निकायों में संवैधानिक अनिवार्यता नहीं की गई। इसलिए पंचायतों तथा नगरपालिकाओं में लोकतंत्र निचले स्तर पर शिथिल पड़ गया है।

इन दो विधेयकों के साथ हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जब तक भारत रहेगा, निचले स्तर पर लोकतंत्र रहेगा। स्थानीय स्वायत्त शासन में लोकतन्त्र राजनैतिक शुगल नेता नहीं होगा। इन विधेयकों के द्वारा स्थानीय स्वायत्त शासनों में लोकतन्त्र एक संवैधानिक अनिवार्यता हो जाएगी, एक ऐसी अनिवार्यता, स्वार्थ या लापरवाही के कारण जिसकी न तो झूठी कसमें खाई जा सकेंगी और न ही उसका उपहास किया जा सकेगा।

महोदय, हम इस सदन में सभी मुख्य मन्त्रियों से परामर्श के पश्चात् ही आना चाहते थे। किंतु दुर्भाग्य से लोकतान्त्रिक चर्चा से परे रहने की उनकी हट के कारण दो को छोड़कर सभी गैर-कांग्रेसी मुख्य मन्त्री चर्चा से दूर रहे। उनमें से बहुतों ने उनके दल के चुने हुए प्रतिनिधियों को नगरपालिका सम्मेलनों में भाग लेने से इन्कार कर दिया और मुझे विश्वास है कि उनमें से एक ने उन कुछ प्रतिनिधियों को निलम्बित कर दिया जिन्होंने उन चर्चाओं में भाग लिया। उन्होंने अपने अधिकारियों को शहरी विकास मन्त्रालय द्वारा बुलाए गए नगरपालिका अधिकारियों के सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी। हमने अपनी पूरी कोशिश की। उन्हें राष्ट्रीय बहस में शामिल करने के लिए हम जो कुछ कर सकते थे हमने किया। वह कहते हैं कि संविधान में संशोधन करने से पहले सहमति होनी चाहिए किन्तु वह चर्चा में भाग लेने के लिए आने से इंकार करते हैं। बिना बातचीत के सहमति किस प्रकार हो सकती है। उनके असहयोग के बावजूद, स्वतन्त्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि विचार विमर्श की सर्वाधिक लम्बी श्रृंखला के पश्चात् हम संसद में आए। इस सदन में पंचायती राज और नगरपालिका विधेयकों के साथ आने से पूर्व मैंने स्वयं 25,000 से अधिक जानकार और अनुभवी लोगों के साथ बातचीत की है, जिनमें से अधिकांश लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं।

हमने यह बात कई बार कही है कि यह केन्द्र राज्य का मामला नहीं है। पंचायतों और नगरपालिकाओं को संविधानिक रूप से लोकतांत्रिक बनाया जाना केन्द्र और राज्यों के बीच झगड़े की जड़ क्यों बने ? नियमित रूप से चुनाव कराया जाना, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को मनमाने ढंग से निलम्बित किए जाने को समाप्त किया जाना और 6 महीने के अन्दर जन प्रतिनिधियों को पुनः चुने जाना केन्द्र और राज्य के बीच विवाद का विषय क्यों हो ? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण केन्द्र और राज्यों के बीच टकराव का विषय नहीं होना चाहिए। वास्तव में यहां केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा केवल हमारे, जो लोगों को शक्तियां देना चाहते हैं और उन राजनैतिक ताकतों के बीच है जो सत्ता को उन सामन्तों के हाथ में रखना चाहते हैं जिनका वह प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करने का अपेक्षा हमने संविधान द्वारा निर्मित केन्द्र राज्य सम्बन्धों के ढांचे के मामले मे अत्यन्त सतर्कता बरती हैं। राज्य सूची की प्रविष्टि 5 को नहीं छेड़ा गया है। राज्य विधान मण्डलों की प्रभुसत्ता धूमिल नहीं हुई। हम संविधान संशोधन कर रहे हैं, राज्य विषय पर नगरपालिका कानून का प्रारूप तैयार नहीं कर रहे है। लोगों की उपेक्षा करने के अधिकार को समाप्त किया जा रहा है। जनता की इच्छाओं भी खिल्ली उड़ाने के अधिकार को समाप्त किया जा रहा है। सत्ता के दलालों के शासन को समाप्त किया जा रहा है। यह केन्द्र के अधिकारों बनाम राज्य अधिकारों का प्रश्न नहीं है। यह लोगों के अधिकारों का प्रश्न है।

नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने में हम केवल स्थानीय स्वायत्त शासनों से केन्द्रीय परिषद् और महापौरी की अखिल भारतीय परिषद् द्वारा पास किए गए संयुक्त प्रस्ताव, जिसमें उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने का अनुरोध किया है, को ही कार्यान्वित कर रहे है। इन दोनों निकायों में मन्त्री, महापौर तथा विपक्षी दलों के अन्य चुने हुए प्रतिनिधि शामिल हैं इसमें वह राजनैतिक दल भी शामिल हैं जो आज इस सदन में उपस्थिति हैं तथा वह जो भाग गए हैं। सी० पी० आई (एम०) से लेकर भारतीय जनता पार्टी तथा सभी राजनैतिक दलों के प्रवक्ताओं ने बार-बार नगरपालिकाओं को संवैधानिक मान्यता देने का अनुरोध किया है। जैसाकि शहरी करण संबंधी राष्ट्रीय आयोग को अपने हाल ही में भेजे गए अभ्यावेदन में सी० पी० आई (एम०) वे महापौर की अध्यक्षता में कलकत्ता निगम ने कहा कि :

> "निचले स्तर पर लोकतन्त्र से जुड़े एक देश को अपने स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा—मैं उद्धृत कर रहा हूं।

> "यह निर्भीक कदम और भी अर्थपूर्ण होता यदि सरकार के विभिन्न स्तरों की भूमिकाओं, कार्यों, उत्तरदायित्वों (वित्तीय तथा अन्य) की संवैधानिक व्याख्या होती।"

मैं उनके इस स्पष्ट निष्कर्ष का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता।

> "स्थानीय निकायों को देश के संवैधानिक ढांचे में सही स्थान दिए बिना"

शहरी समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता।

[श्री राजीव गांधी]

ऐसा क्या हुआ है कि अब उनका विचार बदल गया ? मैं यह प्रश्न एक अलग तरीके से पूछता हूं, अब उनके सिद्धांत क्यों बदल गए हैं । क्या ऐसा इसलिए है कि अब वह विपरीत विचारधाराओं वाले लोगों या ऐसे लोगों के पास रहने में आदी हो गए हैं जिनकी अपनी कोई विचार धारा नहीं है ?

हमने यह दलील भी सुनी है कि निचले स्तर पर लोकतंत्र स्थापित करने तथा लोगों को शक्ति देने के लिए संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है । यह कहा जा रहा है कि राजनैतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है । महोदय, मेरा यह नम्र निवेदन है कि नगर पालिका कानून पास करने से अधिक इच्छा शक्ति की जरूरत संविधान में संशोधन करने के लिए होती है । महोदय, मेरा यह भी नम्र निवेदन है कि हमारे इस संविधान संशोधन से वहां पर आवश्यक राजनैतिक मानस बनेगा जहां पर यह नहीं है । इसमें हम आपसे बेहतर हैं इस रवैये के लिए कोई स्थान नहीं है । भारत में कोई भी दल स्थानीय स्वायत्त शासन में बेदाग रिकार्ड का दावा नहीं कर सकता । इसी प्रकार भारत में ऐसा कोई बड़ा राजनैतिक दल नहीं है जिसने स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए कुछ न किया हो । कुछ कांग्रेसी सरकारों ने दूसरों से अच्छा काम किया है । इसी प्रकार कई बार विपक्षी सरकारों में औरों से अच्छा काम किया है और कई बार खराब काम किया है, कई बार उन्होंने अपने ही पिछले रिकार्ड से बेहतर काम किया है और कई बार वे अपनी ही उपलब्धियों से नीचे रहे । पंचायती राज्य और नगर पालिका विधेयकों के प्रति हमारा दृष्टिकोण गैर-पक्षपातपूर्ण है । हमने सभी के अनुभव या लाभ उठाया है । हम सभी के आभारी है । अब हमने एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया है जो नगर पालिकाओं जो हमारी संवैधानिक भेदभाव की आधार शिला है, को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का स्वरूप प्रदान करता है।

यह पता लगाने के बाद कि पंचायती राज और नगर पालिका विधेयकों के लिए जनमत तैयार हो चुका है एक विपक्षी दल ने अब संवैधानिक संशोधन के लिए एक वैकल्पिक प्रस्ताव रखा है । इस प्रकार के संशोधन प्रस्तुत करने का सही मंच इस सभा का पटल है । क्योंकि इस प्रकार के वैकल्पिक संशोधन प्रस्तुत करने वाला मुख्य दल अपने लोकतांत्रिक दायित्वों से पीछा छुड़कर भागा है, इसलिये उनके प्रस्तावों पर तो विचार भी नहीं किया जा सकता । हम देखते हैं कि दूसरे सदन में क्या होता है, जहां वह इस सदन में किए गये आचरण के विपरीत अपनी सीटों से घोंघे की तरह चिपके हुए हैं ।

विपक्ष में ऐसे शुद्धिवादी भी हैं जो यह कहते हैं कि वह किसी भी परिस्थिति में स्थानीय स्वायत्त सरकार के लिए संवैधानिक उपबन्धों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे । इस शुद्धता पर इस परिप्रेक्ष्य में प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि हाल ही में फरवरी, 1989 में स्थानीय सरकारों की केन्द्रीय परिषद तथा मेयरों की अखिल भारतीय परिषद तथा आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम् सरकार केरल की वामपन्थी मोर्चा सरकार तथा कलकत्ता के सी० पी० आई० (एम०) महापौर, जो पश्चिम बंगाल की वामपन्थी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, की संयुक्त बैठक में नगर पालिकाओं के सम्बन्ध में एक संवैधानिक संशोधन की मांग करते हुए संकल्प पारित किया ।

राष्ट्रीय मोर्चा या फिर कहें कि इस नाम मात्र के मोर्चे के अन्य घटक भी हैं जिन्होंने 11वीं संयुक्त बैठक में देश में सभी नगर पालिकाओं के लिए समान संविधि बनाए जाने की मांग की थी । संवैधानिक संशोधन लाए बिना समान संविधि कैसे बनायी जा सकती है ? और यदि एक क्षण के लिए यह मान भी ले कि कानूनी हेर-फेर करके ऐसा किया जा सकता है फिर भी संवैधानिक संशोधन और नगर पालिका संविधि के बीच आवश्यक अंतर तो रहेगा ही । संवैधानिक संशोधन के परिणाम अपरिहार्य हैं । हमने जो प्रस्ताव रखे हैं उनसे स्थानीय निकायों में भी लोकतंत्र की स्थापना होगी । इसके विपरीत

कोई भी आदर्श विधेयक राज्य विधान मण्डलों पर अनिवार्यत: लागू नहीं होगा और इस से किसी पार्टी या व्यक्ति के कारण कोई परिवर्तन नहीं आएंगे। यदि हम सचमुच नगर पालिकाओं में लोकतन्त्र स्थापित करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है।

नगर पालिका विधेयक के आरम्भ में ही कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों मे रहने वाली जनता के भी वही लोकतांत्रिक अधिकार और जिम्मेदारियां हैं जो हम पंचायती राज्य विधेयक के माध्यम से ग्रामीण भारत की जानता को देना चाहते है।

भारत की एक चौथाई आबादी शहरों में रहती है। इस शताब्दी के अंत तक यह संख्या एक तिहाई हो जाएगी तथा उसके बाद कुछ दशकों में हो सकता है आधी आबादी शहरों में रहने लगे। आबादी के इस रुख को हमें स्वीकार ही नहीं करना चाहिए, वरन् इसे बढ़ावा भी देना चाहिए। हमारे शहरीकरण के ढांचे में यह त्रुटि नहीं है कि नगरों और शहरों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही वरन् यह है शहरीकरण का रुख व्यस्थित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग शहरों की ओर ही आकर्षित हो रहे हैं। इससे बड़े शहरों के संसाधनों पर काफी बोझ पड़ता है और जिन ग्रामीण क्षेत्रों से ये लोग आते हैं, वहां कुछ फायदा नहीं होता। जरूरत इस बात की है कि शहरीकरण के इस रुख को व्यवस्थित किया जाए। हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक जिले में छोटे-बड़े नगर बढ़ते रहें जिनमें आस पास के गांवों की काफी आबादी आकार बसे। इस तरह योग्य और उद्यमी लोग काफी हद तक जिलों में ही रहेंगे। शहरीकरण ग्रामीण आवश्यकताओं से संबद्ध होगा। शहरों को ग्रामीण क्षेत्रों से अलग न करके उनके साथ पूर्ण समन्वय बनाया जाएगा।

भारत का गांवों और शहरों में विभाजन ही स्वशासी शासन की उपनिवेश प्रणाली की हमें सबसे बुरी देन है। 107 वर्ष पूर्व अंग्रेजों ने स्थानीय शहरी स्वशासन की प्रणाली शुरू की थी तब भारत के शहरों को भिन्न भूमिका अदा करनी थी जबकि हम उनके लिए दूसरी ही भूमिका का प्रस्ताव कर रहे हैं। तत्कालीन उपनिवेश सरकार ने भारत के शहरों को ही विदेशी अंत: क्षेत्र माना, जहां वे आस पास की वास्तविकता से आंखें मूंदे कर आराम से रह सकते थे। उन्होंने यह माना कि जल निकासी सुविधा, पेय जल, सड़क पर प्रकाश और सड़कों की समाज की जरूरत केवल उन्हीं लोगों और उनके चमचों को ही थी। यह माना गया था कि भारत के गांवों में नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराना जरूरी नहीं है।

आजादी के चार दशकों के बाद वास्तविकता बदल चुकी है लेकिन ढांचा वही है। कानून के अनुसार यह जरूरी है कि सभी मान्यता प्राप्त शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं किन्तु शहरी स्थानीय निकायों के लिए यह एकदम असंभव हो गया है कि वे उनके लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएं। दूसरी तरफ, भारत की ग्रामीण जनता की यह मांग उचित ही है कि उन्हें भी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और उन्हें ये सुविधाएं अब मिल भी रही हैं।

हमें भारत के उपनिवेशी विभाजन, जो गांवों और शहरो के रूप में किया गया है, से मुक्त होना होगा। हमें ग्रामीण और शहरी भारत के स्थान पर एक मिले-जुले भारत का निर्माण करना होगा जहां लोकतंत्र रूपी रुद्राक्ष माला में सुदूर गांवों और महानगरों दोनों ही के लोग हों।

दूसरे, नगर पालिका प्रशासन की उपनिवेश वादी प्रणाली में विकास योजनाओं और विकास

गतिविधियो के लिए कोई स्थान नहीं था। जब पंडित जी ने उपनिवेशी शासन में की गई गांवों की उपेक्षा को दूर करने के लिए पंचायती राज की स्थापना की, तब उन्होने पंचायती राज संस्थाओ को विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना था। यद्यपि वर्षों उपरांत पंचायती राज संस्थाओं का ह्रास हो चुका है किंतु सिद्धांतत: अब भी वे विकास का प्रमुख माध्यम है। इसके विपरीत नगर पालिकाएं चुक चुकी हैं और विकास में उनकी कोई भूमिका नहीं है। भारत का विकास शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की योजनाएं बनाए बिल संभव नहीं है। संभवत: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच के क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाना ही दूत विकास का मुख्य स्रोत होगा।

तदानुरूप विधेयक के पहले अध्याय में गांवो के शहरों के रूप में विकसित हो रही आबादियों के बारे में जिक्र किया गया है।

ऐसी बस्तियों की संख्या बहुत ज्यादा है। देश के अधिकतर भागों में ऐसी बस्तियों को इस समय शहरी बस्तियां कहा जाता है और उन्हें गांवों के क्षेत्राधिकार से बिल्कुल अलग रखा जाता है। किन्तु हमारा प्रस्ताव है कि अव्यवहार्य शहरी स्थानीय निकायों के प्रचुर मात्रा में बनाये जाने के स्थान पर नगर पंचायतें ग्रामीण प्रशासन और शहरी प्रशासन दोनों का लाभ उठाएं। इन निकायों के नाम से ही इस पर बल दिया गया है। अर्थात इन्हें शहरों की मान्यता दिया जाना और इन्हें गांवों से जोड़े रखना। नगर पंचायतों को शहरों और गांवों दोनों से शक्तियां प्राप्त हैं और दोनों को ही जिम्मेदारी भी उन पर है। नगर पंचायतें जो योजना बनाएगी वे ग्रामीण बस्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी। नगर पंचायतों को मान्यता दिए जाने और उनको बढ़ावा देने से गांवों में रहने वाले उन लोगों को आकर्षित किया जा सकेगा, जिन्हें गांव पूरा रोजगार देने में असमर्थ है जबकि वे वहीं गांव में रह सकते हैं और गांव तथा शहर के लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं, जो लोग अपने पूर्वजों के गांव से हट कर जोखिम उठा सकते हैं, वे इसका लाभ ले सकते हैं। झूठी प्रतिष्ठा के खोखले प्रतीकों के स्थान पर, जैसी कि छोटी नगरपालिकाएं इस समय हैं, नगर पंचायते विकास का प्रतीक बनेंगी।

हमें आशा है कि प्रत्येक जिले में एक या कुछ नगर पंचायतें अच्छी नगर पालिकाओं के रूप में विकसित होंगी। ग्रामीण क्षेत्र के आसपास कई बस्तियां बनाने से हम महानगरों तथा खेती पर बोझ कम कर पाएंगे। ऐसी बस्तियों के निर्माण से ही हम शहरी करण को व्यवस्थित करना चाहते है। यही बस्तियां अन्त: औद्योगिक विकास केन्द्रों के केन्द्र बिन्दु के रूप में उभरेंगी। इस तरह हम शहरी संबंधी राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशें और विकास केन्द्रों की हमारी योजना को एकाकार कर पाएंगे।

अब हम यह देखेंगे कि नगरपालिकाओं में विकेन्द्रित लोकतन्त्र पंचायतों में विकेन्द्रित लोकतन्त्र की तुलना में कैसा कार्य करता है।

ग्राम पंचायतों में लोकतन्त्र की दो विशेषताएं हैं।

पहली बात तो यह कि प्रत्येक मतदाता निर्वाचित प्रतिनिधि से व्यक्तिगत सम्पर्क रखता है तथा उसके पास आसानी से जा सकता है क्योंकि प्रत्येक पंच औसतन 100 से 500 मतदाओं का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे प्रत्येक पंच की आवाज का पंचायत में अपना बहुत अधिक महत्व होता है। मतदाता और चुने हुए प्रतिनिधि के बीच व्यक्तिगत सम्पर्क तथा चुने हुए प्रतिनिधि के बीच व्यक्तिगत सम्पर्क तथा चुनी गई संख्या में चुने गए प्रतिनिधि का महत्व यह इन दो बातों का संयोजक है— राजनीति में सत्ता के दलालों को हटाने की दिशा में दो बातें पहला आवश्यक कदम है।

पंचायती राज के तीन स्तरों अर्थात ग्राम खण्ड और जिला की तुलना में हमारे यहां अब तक केवल एक सिर्फ नगर प्रशासन रहा है। यह पद्धति छोटे कस्बों में बहुत ही संतोषजनक रही है क्योंकि वार्ड छोटे है और नगर परिषद् सफल है। जैसे ही कस्बों की आबादी बढ़ती है तो मतदाता और उसके प्रतिनिधि के बीच दूरी बढ़ जाती है, और नगर पालिका के सदस्यों की संख्या भी बढ़ जाती है। जैसे ही कस्बे शहरों में और शहर महानगरों में बदल जाते हैं। वार्ड का मध्यम आकार 30,000 और उसमें भी अधिक बढ़ जाता है, दिल्ली के एक वार्ड के मामले में तो यह संख्या दो लाख से भी अधिक बढ़ गई है। निगम के सदस्यों की संख्या भी बढ़कर लगभग 110 तक हो गई है।

शहरों में मोहल्लों तथा पड़ोस में जहां वे रहते है लोकतन्त्र को लोगों के नजदीक लाने के लिए नगरपालिका विधेयक को दो बातें कही गई हैं। इन दो नई बातों का कर्मकार्य नया क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं है। उन्होंने वर्तमान अनौपचारिक व्यवस्थाओं और प्रशासनिक ढांचों पर तैयार किया है।

एक लाख या उनसे अधिक की आबादी वाले कस्बों में हमारा प्रस्ताव है कि सीधे चुनाव के द्वारा वार्ड समितियों का गठन किया जाये जिन्हें नगर पालिकायें स्थानीय शक्तियां और स्थानीय जिम्मेदारियां सौंपे, और इन कार्यों को करने के लिए वे उन्हें जरूरी धन प्रदान करें। वार्ड कमेटी के क्षेत्राधिकार और उसके जनसंख्या के आकार का निर्णय हमने राज्य विधान-मंडलों पर छोड़ा है। हम आशा करेंगे कि वोर्डों की कमेटी का क्षेत्राधिकार सफल रूप में पर्याप्त होगा जिसमें नागरिकों को यह लगे कि वे अपने पड़ोस के कार्यों में व्यक्तिगत रूप में सम्बन्ध है और बोर्ड हित की अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए वह चुने गए प्रतिनिधियों के पास आसानी से पहुंच सकें। वार्ड का पार्षद अपने क्षेत्र की वार्ड समिति का सदस्य होगा और वह वार्ड और नगरपालिका के बीच सम्पर्क का काम करेगा।

तीन लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों के सम्बन्ध में हमारा प्रस्ताव है कि वार्ड कमेटियों के अध्यक्षों की एक जोनल कमेटी बनायी जाये। विधान मण्डलों जोनल कमेटियों के क्षेत्राधिकार और जनसंख्या के आकार का निर्णय भी हमने राज्य विधान मण्डलों पर छोड़ दिया है। जोनल कमेटियों को नगर निगमों द्वारा धन दिया जायेगा।

बड़ी नगरपालिकाओं में दो टियर वाला नागरिक प्रशासन और नगर निगमों के नागरिक प्रशासन में तीन टियर प्रशासन लागू करने का एक बड़ा लाभ यह होगा कि इससे नगर परिषद और नगर निगम के सदस्य नगर स्तर के मामलों, शहर के ढांचे के नीति सम्बन्धी मसलों, आर्थिक और सामाजिक विकास, पड़ोसी नगरपालिकाओं से संपर्क तथा जिले भर के आर्थिक कार्यकलाप के मामलों को देख सकेंगे।

अब तक, प्रभावकारी प्रतिनिधित्व स्थानीय स्व-शासन के न होने पर हमारी व्यवस्था में स्पष्ट रूप से विकार पैदा किया है। यदि मोहल्ले में एक नाली बन्द हो जाती है तो उस नाली को खुलवाने के लिए वार्ड पार्षद, नगरपालिका के प्रेसीडेंट, विधायक और संसद सदस्य तथा स्थानीय मन्त्री इन सभी के पास जाना पड़ता है। कभी-कभी नाली को खुलवाने के लिए प्रधान मन्त्री के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ जाती है।

इस प्रकार के विकार को समाप्त करने के लिए व्यवस्थित तरीके से परिवर्तन किये जाने की जरूरत है जिससे कि प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व के अपने स्तर पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके।

वार्ड कमेटियों की स्थापना के मोहल्ले और बस्तियों के लोग अपने मामलों में शामिल हो सकेंगे। इससे सार्वजनिक रूप से उत्साहित नागरिकों को अपने क्षेत्र की सेवा करने के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। इससे समस्याओं के बारे में स्वयं लोगों के विचारों और उनके द्वारा सुझाए गए समाधानों पर ध्यान केन्द्रित करने में सहायता मिलेगी। इससे स्थानीय लोगों का इन कार्यों में सहयोग मिलेगा और स्थानीय विकास के लिए स्थानीय संसाधन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इससे स्वैच्छिक संगठनों को एक पड़ोसी मन्च मिलेगा जहां विचारों का अदान प्रदान हो सकेगा और नागरिक कार्यवाही की संभावना का पता लगाया जा सकेगा। तब सही मानों में वह शहर लोगों का होगा।

शहर के कमजोर भागों में इसके महत्व को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता। आज, गैर मान्यता प्राप्त और आवंटित भागों की परवाह नहीं की जाती है। वे दोनों मिलकर गन्दी बस्तियां बनाकर उनमें इकट्ठे रहने लग जाते हैं। वे गैर मान्यता प्राप्त हैं क्योंकि वे अवैध कब्जा करते हैं। वे उस भयानक यन्त्र की प्रतीक्षा करते हैं जब उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा। वहां से हटा दिये जाने के बाद, वे किसी और स्थान पर बसने के लिये स्वयं कहीं और गन्दी बस्ती बना लेते हैं और वे अवश्य बनाते हैं। क्योंकि वे अवैध कब्जा करते हैं इसका कर्म यह नहीं वे कहीं पर बसे नहीं। वे ऐसा करते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए वे गन्दी बस्तियों के बदमाशों के संरक्षण में आ जाते हैं जो उन्हें डराते धमकाते हैं लेकिन, बदले में, सुरक्षा प्रदान करने की पेशकश करते हैं। आवंटित लोगों के बच्चों को समाज के अपराधी वर्ग में मिला लिया जाता है। वार्ड कमेटियां इन अभागे बच्चों को नई सुबह की नई आशा दिखाती है। मोहल्ला स्वयं इनकी देखभाल शुरू कर सकता है। मोहल्ले के चुने गये प्रतिनिधि मोहल्ले के हितों की देखभाल करेंगे। मोहल्ला अब अन्य लोगों की दया पर निर्भर नहीं करता है। गन्दी बस्ती के बदमाशों के स्थान पर अब मोहल्ला पंचायत अर्थात वार्डों की कमेटी बनेगी।

हमने यह सुनिश्चत किया है कि वार्ड के पार्षद और नगर निगम सदस्य वार्ड कमेटियों से संपर्क रखें। इससे उन्हें स्थानीय स्तर की समस्याओं को समझने में मदद मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही उस नीति सम्बन्धी अधिकार प्रश्नों पर विचार करने की स्वतन्त्रता रहेगी।

पंचायतों का हर पांच वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव सुनिश्चित कराने का देशभर में स्वागत किया गया है। इस विधेयक के द्वारा यह प्रावधान हम नगर पालिकाओं के सम्बन्ध में भी कर रहे हैं लोगों ने इस बात का भी स्वागत किया है कि भंग की गयी पंचायतें सीधे चुनाव करके छह महीने के अन्दर गठित की जायेंगी। हम इस प्रावधान को नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में भी इस विधेयक के द्वारा लागू कर रहे हैं।

सामाजिक न्याय का यह तकाजा है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिधित्व दिया जाये। हमने पंचायतों में यह सुनिश्चित किया है। नगर-पालिकाओं के सम्बन्ध में भी हम यह व्यवस्था कर रहे हैं।

हमारे समाज का कोई भी वर्ग औरतों से अधिक उत्पीड़ित, शोषित तथा उपेक्षित नहीं है। प्रत्येक वर्ग समूह या समुदाय में औरतों उस समूह के प्रति उन सभी उत्पीड़ितों को सहती हैं और इसके अतिरिक्त उन्हें लिंग भेदभाव के परिणामों को भी भुगतना पड़ता है। तथापि आर्थिक जीवन,

सामाजिक कल्याण का दायित्व, सांस्कृतिक निस्तरता और नैतिक स्तरों को बनाये रखने में उनका योगदान जनसंख्या में उनके भाग से कहीं अधिक है। हमें औरतों को स्थानीय स्व-शासन की मुख्य धारा में लाने के लिए एक ठोस शुरुआत करनी चाहिए। यह प्रस्ताव किया गया है कि औरतों के लिए नगरपालिकाओं में उसी तरह आरक्षण रखा जाये जैसे कि पंचायतों में रखा जाता है।

अब मैं शहरी स्थानीय निकायों की बात करता हूं। नगरपालिकाओं के पारम्परिक जन कार्य यदि हमेशा पूरी तरह कार्यान्वित भले ही नहीं हुए हों तो भी वे सर्वविदित हैं और सबको उनकी समझ है। हम चाहेंगे कि नगरपालिकायें केवल जन सुविधाएं देने से भी कहीं अधिक कार्य करें। उन्हें शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए विशेष रूप से बनाये गये कार्यक्रमों सहित स्थानीय विकास के लिए योजनायें बनाने में परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाने की शक्ति दी जानी चाहिए।

यह लोगों को अपने विकास कार्य में शामिल होने तथा भाई-भतीजावाद वाली धारणा को हटाने का एकमात्र रास्ता है। वास्तविक उत्तरदायित्व वास्तविक आशाओं को बढ़ावा देगा तथा निचले स्तर पर संसाधनों की कमी को समझने में सहायता करेगा। नगरपालिका सदस्य तथा जो उन्हें चुनते हैं उन्हें वैकल्पिक विकल्पों में से चुनने की जरूरत तथा अतिरिक्त मांगों से निपटने के लिए अतिरिक्त संसाधनों को एकत्र करने की जरूरत को जानना चाहिए। साथ ही आयोजन प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी से ऐसी योजनाएं बन पायेंगी जो स्थानीय आवश्यकताओं तथा स्थानीय आकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगी। लोगों के लिए क्या अच्छा है का आयोजन केवल कुछ नौकरशाहों की इच्छा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यह फैसला तो स्वयं लोगों को करना है कि उनके लिए क्या अच्छा है।

मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि नगरपालिका विधेयक, पंचायती राज विधेयक की ही तरह इस बात पर जोर देता है कि स्थानिय निकायों द्वारा आयोजन न केवल आर्थिक विकास के लिए होना चाहिए बल्कि सामाजिक न्याय के लिए भी होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी स्थानीय निकाय द्वारा आर्थिक विकास के लिए बनायी गयी योजना तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि इसके सामाजिक न्याय वाले घटक का योजना में विशेष रूप से ध्यान नहीं रखा गया हो। अत: सामाजिक न्याय को योजना प्रक्रिया में गौण नहीं रखा जाना चाहिए बल्कि इसे अभिन्न भाग बनाया जाना चाहिए।

संसाधनों के बगैर आयोजना लापरवाही का द्योतक है। दूसरी तरफ उपलब्ध संसाधनों की पूर्ण जानकारी पर आधारित आयोजन तथा इसके लिए यथा संभव अपने आप पैदा किये गये संसाधनों का सहारा लेना उत्तरदायी आयोजन की अनिवार्य शर्त है। हमारा प्रस्ताव है कि नगरपालिका वित्त व्यवस्था की समीक्षा तथा ऐसे सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए जिनके आधार पर नगरपालिकाओं की अच्छी वित्त व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके, प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। जैसे कि पंचायती राज संस्थाओं के मामले में होता है इसमें सहायता अनुदान के अतिरिक्त नगर पालिकाओं के लिए कुछ करों को देने या उनके विनियोग की बात भी शामिल है। हमें आशा है कि वित्त आयोग उत्तरोत्तर नगर पालिकाओं को अधिकाधिक करों, शुल्कों और राजस्वों के विनिमय के लिए वित्तीय उत्तरदायित्व सौंपेगा क्योंकि जब एकत्र किये गये राजस्व तथा व्यय किये।

[श्री राजीव गांधी]

राजस्व में तालमेल स्थापित किया जाता है तो स्थानीय निकाय वित्तीय उत्तरदायित्वों को निभाने में में सबसे अधिक समर्थ होते हैं।

निःसंदेह हम यह बात मानते हैं कि कोई भी नगरपालिका अकेले अपने आप जुटाये गये संसाधनों से नहीं चल सकती है। वित्तीय उत्तरदायित्व तथा वित्तीय आत्म-निर्भरता के लिए एक अतिरिक्त उत्प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहन अनुदानों की एक व्यवस्था आवश्यक है।

नगरपालिकाओं के लिए स्थानीय विकास के लिए संसाधनों का पता लगाने की अभी गुंजाइश है। उन्हें पूंजी संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जा । चाहिए, बशर्ते कि उनकी नगरपालिका ऋण को चुकाने की क्षमता को ध्यान में रखा जाये। विशेष रूप से आवास संबंधी मामलों में नगर-पालिकाओं और शहरी विकास से निपटने में विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण और कृषि विकास बैंक की तरह एक पुनर्वित्त निकाय की भी आवश्यकता है। हम इन संभावनाओं का अध्ययन कर रहे हैं।

पंचायती राज विधेयक में आयोजना के लिए अधिकार तथा जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने की बात है नगरपालिका विधेयक में भी बात नगरपालिकाओं के लिए हैं। कोई भी जिला पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से मिलकर बना होता है। अतः यह आवश्यक है कि सारे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने से पहले विभिन्न पंचायतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए तथा सुसंगत बनाने के लिए एक तन्त्र हो।

इससे हम ग्राम और शहर को साथ-साथ लेकर चलाने वाले अपने उसी चल रहे विषय पर वापस आ जाते हैं। उपनिवेशवाद ने कृत्रिम रूप से ग्रामीण-शहरी विभाजन पैदा किया है लोकतन्त्र तथा शक्तियों के हस्तांतरण से ग्रामीण और शहरी व्यवस्था को एक दूसरे से तालमेल स्थापित करना चाहिए ताकि समूचा जिला, नगरों में होने वाली आयोजना से देहातों में अधिक लाभदायक खेती के तरीकों को बढ़ावा देकर ऊंची कृषि उत्पादकता, अधिक आय और अधिक रोजगार से, समृद्ध हो जाये तथा इसकी ओर शहरी समृद्धि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सम्पर्क से तथा जिले में अन्य शहरी व्यवस्थाओं के सम्पर्क से और बढ़ेगी। हमें समूचे जिले के समन्वित विकास के फायदों के प्रति जागरूकता तथा अभिज्ञेयता पैदा करनी चाहिए।

अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि इन कार्यों को करने के लिए नगरपालिका तथा पंचायतों की एक संयुक्त समिति बनाई जाये। समिति के सदस्यों को जिला पंचायत तथा नगरपालिका के सदस्य अपने ही सदस्यों में से ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर चुनेंगे। समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, तथा महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा। इस प्रकार जिला विकास योजना में केवल पंचायत और नगरपालिका द्वारा बनायी गयी योजनाओं के सामाजिक न्याय वाले घटक ही शामिल नहीं होंगे। इसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों की अपनी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर और समिति में महिलाओं की 30 प्रतिशत सदस्यता के साथ-साथ पूरी भागीदारी होने पर ही तैयार किया जायेगा और अन्तिम रूप दिया जायेगा।

महानगरीय क्षेत्रों के लिए नगरपालिका विधेयक में उनकी पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के विकास को समेकित करने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव किया गया है और इसमें महानगर क्षेत्र के समूचे विकास की योजना भी शामिल है। कम से कम दो तिहाई सदस्यों को नगर-

पालिकाओं के सदस्यों में से और महानगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले पंचायतों के अध्यक्षों में से निर्वाचित करने का प्रावधान कर हमने समिति में लोकतन्त्रीय प्रतिनिधित्व को सुरक्षित बना लिया है। शेष एक तिहाई सदस्य, महानगरीय क्षेत्र के इस ओर विशेष रुचि रखने वाले अधिकारी में से और साथ ही सरकारी प्रतिनिधियों और ख्याति प्राप्त व्यक्तियों में से बनाये जा सकते हैं।

पंचायती राज विधेयक प्रस्तुत करने के पश्चात्, होने वाली राष्ट्रीय स्तर की बहस में इस बात की आशंका व्यक्त की गई है कि स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से राजनीतिक संस्था में अपराधी और समाज विरोधी तत्व आ सकते हैं। इस प्रकार की आशंकायें बेबुनियाद नहीं हैं। हमने विगत व्यक्तियों के अनेक उदाहरण देखें हैं जो कि स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में खड़े होने के योग्य होने पर भी विधान परिषद अथवा संसदीय चुनावों के लिये आयोग्य ठहरा दिये गये हैं। विधान परिषद और संसद में इस प्रकार के व्यक्तियों के प्रवेश पर संविधान प्रतिबंध लगाता है। पंचायतो और नगरपालिकाओं की सदस्यता से आयोग्य ठहराये जाने के सम्बन्ध में इसमें कुछ भी नहीं कहे जाने से राज्य के कानूनों में भी ऐसी कमियां और बचाव के रास्ते रह गए हैं जिसके द्वारा स्थानीय संस्थाओं में इस प्रकार के असमाजिक तत्व प्रवेश पा गए हैं। हम इस त्रुटि को दूर कर रहे हैं। सभा में प्रस्तुम इस विधेयक मे विधान परिषदों और संसद के सन्दर्भ में वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर पंचायतों और नगरपालिकाओं की सदस्यता के लिये आयोग्यता और विधान द्वारा निश्चित आयोग्यताओं की चर्चा की गयी हैं। इसका अर्थ यह है कि जन प्रतिनिधित्व कानून के सन्दर्भ में गत दिसम्बर में हमारे द्वारा अयोग्यताओं से संबंधित जो भी संशोधन लाया गया वे सब पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगें। हमारे विधेयक में राज्य विधान मंडलों द्वारा स्थानीय रूप से आवश्यक अन्य अयोग्यताओं को लागू किये जाने का प्रावधान किया गया है।

जिन संवैधानिक संशोधनों पर विचार करने की सिफारिश मैं आपसे कह रहा हूं वह विकास का प्रथम स्तर है। इसे राज्य विधान मंडल तक विकास के द्वितीय चरण में और प्रशासनिक कार्यान्वियन के तीसरे चरण तक अवश्य ले जाना चाहिए। इस नई पद्धति के अनेक मुद्दे बाद के स्तर पर सुलझाये जा सकते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिये ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाना, खुले रूप में पंचायतों के काम काजों को करना और अपने निर्णयों से जनता को अवगत कराना, निर्वाचन सूची के सम्बन्ध में जन सूचना जारी करना और विभिन्न कार्यक्रमों के विस्तृत ब्योरे जैसे, जवाहर रोजगार योजना, इसके लिये किये गये कार्यों के विस्तृत ब्योरे, सम्पन्न व्यय और लाभ प्राप्त कर्ताओं के नामों आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों को उचित रूप से अधिक महत्व दिया गया है। ये ऐसे मुद्दे है जिन्हे संवैधानिक संशोधन द्वारा हल नहीं किया जा सकता है बल्कि इन्हें बाद के स्तरों पर हल किया जाना चाहिए। हम आशा करते हैं कि राज्य विधायिका, इसके अन्तर्गत बनाये गये नियम और जारी किये गए सरकारी आदेश न सिर्फ इन संशोधनों के अक्षरश अनुरूप होंगे बल्कि पंचायतों और नगरपालिकाओं के पुनर्नवीनिकरण पर विश्वास कर हमारे लोगों ने इससे जो बड़ी-बड़ी आशायें लगा रखी हैं इसे पूरा करने के लिये ये सृजनात्मक रूप से इसकी व्याख्या भी करेंगे। जिले में कार्यरत सरकारी एजेंसियों, जिला प्रशासन और निर्वाचित अधिकारियों की देख रेख में सारी व्यवस्था को लाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। स्थानीय निकायों में कार्यरत सरकारी सेवकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। पंचायतों और नगरपालिकाओं को सौपें गए कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि का और उचित संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की

[श्री राजीव गांधी]

होगी । ये सभी ऐसे कार्य हैं जिनमें संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच सहयोग स्थापित किए जाने की आवश्यकता है । हम सहयोग के लिए हमेशा तैयार हैं । जनता उन राज्य सरकारों को कभी माफ नहीं करेगी जो सहयोग नहीं करते हैं । इस प्रकार हमारा कार्य सिर्फ इन विधेयकों पर विचार करके और उन्हें पारित करके ही समाप्त नहीं होता है । हम आशा करते हैं कि एक प्रबल जनमत और सतर्कतापूर्वक की गई निगरानी यह विश्वास दिला देगी कि हमारे इरादों पर पूरी तरह से विश्वास किया गया है ।

इस सभा में हमारे द्वारा लाये जाने वाले संवैधानिक संशोधन विधेयकों द्वारा किसी भी तरह से निम्नतम स्तर पर किए जाने वाले परिवर्तनों की समाप्ति नहीं होती है । आगामी लोक सभा में, हम सहकारी आन्दोलन का पूरी तरह से पुनर्गठन करने की आशा रखते हैं जो कि उच्च वर्ग के प्रभुत्व कुप्रबंध, भ्रष्टाचार के कारण देश के अनेक भागों में संकट पूर्ण स्थिति में है ।

पंचायतों के सन्दर्भ में अपने अधूरे काम के प्रति भी हम सचेत हैं क्योंकि अभी तक हमने न्याय पंचायतों की शुरूआत नहीं की है । इसी प्रकार भारत के शहरी क्षेत्रों में हमें शीघ्र न्याय दिलाने हेतु अनुकूल प्रशासन का निर्माण करना है । नवीं लोक सभा में हमारी सरकार द्वारा कार्य को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी ।

महोदय, यह एक ऐतिहासिक क्षण है । यह परिवर्तन का क्षण है । हमारे द्वारा लिया जाने वाला निर्णय हमारे लोकतन्त्र के भाग्य का निर्माण करेगा । हम यहां इस सभा में अपने लोगों की इच्छानुसार निर्वाचित हुये हैं । जनता के पास ही हमें अपने पद पर बने रहने की पुनः स्वीकृति लेने जाना होगा ।

पांच वर्ष पहले हमने लोगों से सरकारी ढांचे में निम्नस्तर पर परिवर्तन लाकर इसे अधिक प्रतिनिधित्व पूर्ण, अधिक उत्तरदायी बनाने का वायदा किया था ।

40 वर्षों पहले संविधान अपनाये जाने के पश्चात अब हम व्यवस्थित ढंग से होने वाले सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन के अगार पर खड़े हैं ।

इन दो विधेयकों के साथ हम लोगों को अधिकार प्रदान करने के अपने वायदे को दुहराते है । जनता हमारे साथ है ।

धन्यवाद, महोदय ।

अब मैं संवैधानिक (पैंसठवां संशोधन) विधेयक, 1989 पुरःस्थापित करने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं ।

महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"